

30-4-24

पत्रावली पेशा हुई।

उपरोक्त वकील उप०।

मूल वाद का फैसला हो चुका है।

अब इस आवेदन को अगे चलने का

कोई औचित्य नहीं रहा है। इसलिए

पत्रावली इसी स्तर पर फैसले की

जाकर दाखिल दफ्तार हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) धोरीमना

